



यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

द्वितीय तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर ओमेगा-1, (पी-2) बिल्डर्स एरिया, ग्रेटर नौएडा, गौतमबुद्धनगर
(उ०प्र०) दूरभाषा न० - 0120 - 2395160, फ़ैक्स न० - 0120 - 2395150

वाई.ई.ए./उ.म.प्र.(परि०)/11०/2013

दिनांक : 1० अक्टूबर, 2013

कार्यालय आदेश

संस्थागत/औद्योगिक/ग्रुप हाउसिंग/टाउनशिप/वाणिज्यिक/क्षेत्र के भूखण्डो/भवनो के लिए वाटर, सीवर, ड्रेन, बिजली व टेलीफोन कनेक्शन की नई दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

Industrial/Institutional/Group Housing/Recreation Area

S. N	Plot Size in Sqm	Water Conn.	Sewer Conn.	Drain Conn.	Elect & Tel pipe charges	Total
1	Upto 500	5300	13550	11500	20300	50650
2	501 to 1000	6900	13550	13200	20300	53950
3	1001 to 2000	30200	40550	14700	20300	105750
4	2001 to 3000	30200	40800	15800	20300	107100
5	3001 to 4000	32700	41100	16900	20300	111000
6	4001 to 5000	45100	41500	17500	20300	124400
7	5001 to 10000	85600	56300	19750	28200	189850
8	10001 to 50000	96900	65350	27050	28200	217500
9	Above 50001	104200	90100	43400	28200	265900

Commercial

S. N	Plot Size in Sqm	Water Conn.	Sewer Conn.	Drain Conn.	Elect & Tel pipe charges	Total
1	0 to 10	5300	-	5650	-	10950
2	11 to 250	5300	13550	11300	20300	50450
3	251 to 500	5300	13550	11300	20300	50450
4	501 to 1000	6900	13550	13000	20300	53750
5	1001 to 4000	32700	40600	15800	20300	109400
6	4001 to 10000	45050	40600	17500	28200	131350
7	11 to 250 (Restaurant etc)	5300	13550	11300	-	30150

आवासीय भूखण्डो के प्रति नग सर्विस कनेक्शन हेतु दरो का निर्धारण आवश्यकतानुसार अलग से किया जायेगा। उपरोक्त समस्त श्रेणियों के भूखण्डो के क्षेत्रफल में $\pm 10\%$ वेरीयेशन तक आवंटन के क्षेत्रफल की श्रेणी की निर्धारित दरो को लागू मानी जायेगी। सीवर व ड्रेन के लिए किसी मद हेतु एक से अधिक कनेक्शन लेने पर तदनुसार अतिरिक्त चार्ज देय होंगे। वाटर का कनेक्शन केवल एक ही कनेक्शन दिया जाएगा। इससे अधिक वेरीयेशन आने पर ऊपर या नीचे की श्रेणी की दरे मानी जायेगी।

उपरोक्त आदेश मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 26.09.2013 के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं तथा तत्काल से प्रभावी होंगे।

भवदीय

(ए.के. अरोडा)

उप महाप्रबन्धक (परियोजना)

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।
2. उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को सूचनार्थ।
3. विशेषकार्याधिकारी।
4. महाप्रबन्धक (परियोजना/वित्त/नियोजन)।
5. वरिष्ठ प्रबन्धक (वर्क सर्किल-1/2/3/4/उद्यान/सम्पत्ति/एसेट)।

उप महाप्रबन्धक (परियोजना)